राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(4)( )स्था/सान्याअवि/20/20139 जयपुर, दिनांक 27-01-2020

आदेश

स्व. श्री सुभाष सैन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पुत्र श्री अंकित सैन की पैन कार्ड के आधार पर जन्म तिथि 12.08.1992 (बारह अगस्त उन्नीस सौ बानवे) है, इनकी शैक्षणिक योग्यता सातवीं पास है, को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद की पे मैट्रिक्स के पे लेवल–1 में पदभार सम्भालने की तिथि से अस्थाई तौर पर एतद् द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है। श्री अंकित सैन को निम्न शर्तो पर नियुक्ति प्रदान कर कार्यालय उप निदेशक; सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है:–

1. परिवीक्षा समयावधि के दौरान कार्य या आचरण संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अथवा यह प्रतीत होने पर कि इनमें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम, 1996 के नियमों के अनुसार दक्ष कार्मिक होने की क्षमता नहीं है, तो नियमानुसार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
2. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1(2) एफ.डी/रूल्स/2006 एवं एफ 1(12)(6) एफडी/नियम/05 दिनांक 13.03.06 के अनुसार परिवीक्षाधीन अवधि दो वर्ष होगी। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15 (1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुक्रम में इन्हें परिवीक्षाधीन अवधि में 12400/– रूपये (अक्षरे रूपये बारह हजार चार सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह स्थिर वेतन दिया जायेगा। इनके द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या 1 में नियमानुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
3. आदेश जारी होने के 15 दिवस भीतर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश उक्त अवधि में अपने पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हों, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नही संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. परिवीक्षा काल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगें, अर्थात् परिवीक्षा काल को वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिना जावेगा।
5. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुरूप देय होगें।
6. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6(6) एफडी/नियम/2005 दिनांक 13.03.06 के तहत मेडिक्लेम बीमा का लाभ दिया जावेगा।
7. इनके स्थिर वेतन में से राजकीय बीमा एवं प्रावधायी निधि की कटौती नहीं की जावेगी।
8. वित्त विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक एफ 13(1) एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 एवं 27.03. 2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवालाभ देय होंगें।

9. इनकी नियुक्ति पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 7 (1) कार्मिक /क–2/95 दिनांक 20.06.2001 द्वारा जारी सन्तान संबंधी प्रावधान लागू होगें।
10. विवाहित अभ्यर्थी कार्य ग्रहण के समय विवाह पंजीयन/बच्चों के जन्म प्रमाण–पत्र का शपथ पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पदस्थापन कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें।
11. इनको पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा। कार्य ग्रहण करने से पूर्व संबधित अभ्यर्थी को 10 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा
12. स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस विभाग से प्राप्त चरित्र एवं पूर्व–वृत्त सत्यापन प्रस्तुत नहीं किये है, नियुक्ति के पन्द्रह दिवस में अभ्यर्थी अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, से स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस अधीक्षक, से चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन पत्र प्राप्त कर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगें।
13. अपने मूल दस्तावेज लेकर अपनी उपस्थिति कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर में प्रस्तुत करेगें। जिलाधिकारी इनका दस्तावेज का सत्यापन करने के उपरान्त इन्हे पदस्थापित स्थान पर ज्वाईनिंग हेतु निर्देशित करेंगें तथा इनकी उपस्थिति रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र भिजवायेगें।

24-01-2020
(नन्नूमल पहाड़िया)
आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक एफ.1(4)( )स्था/सान्याअवि/20/20140–53 जयपुर दिनांक 27-01-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव निदेशक, विशेष योग्यजन, राजस्थान।
6. निजी सचिव निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (संतर्कता एवं प्रशासन), सान्याअवि जयपुर।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालयं, अजमेर।
9. निजी सचिव, उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन), सान्याअवि।
10. संयुक्त निदेशक, आईटी, मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर।
12. श्री अंकित सैन पुत्र स्व. श्री सुभाष सैन, च.श्रे.क., एच–531, गांधी नगर, जयपुर।
13. व्यक्तिगत पत्रावली।
14. आदेश पत्रावली।

(चाँदमल वर्मा)
उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन)

E mail:raj.sje@rajasthan.gov.in, sjed01ada@gmail.com
Phone 0141-2220194
http:\\sjerajasthan.gov in